न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
फौजदारी वाद संख्या—188 / 2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या—86 / 2026

राज्य **प्रति** सरोज कुमार आदि
एफ0आई0आर0नं0 23 / 2025
धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023
थाना / कोतवाली चम्पावत, जिला चम्पावत।

दिनांक 14—07—2026

अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण **1. सरोज कुमार पुत्र पंचानन, 2. नदीम रसल भट्ट पुत्र गुलाम रसल भट्ट, 3. विकास कुमार यादव पुत्र नीलकण्ड यादव, 4. रोहित राय पुत्र संजय राय** के विरूद्ध धारा 318(4), भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड़नीय अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मामले में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को फोन कर OTP मॉगकर आनलाईन **₹2,15,570 / —रूपये** की रकम धोखाधड़ी कर हडपने का अभियोग है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बयानों के आलोक में अभियुक्तगण **1. सरोज कुमार, 2. नदीम रसल भट्ट, 3. विकास कुमार यादव, 4. रोहित राय** उपरोक्त के विरूद्ध धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड़नीय अपराध का संज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्तगण को धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस तामील कराया गया है। पत्रावली में नकलें संलग्न हैं। अभियुक्तगण को समन जारी हो।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण / नकलें देने / आरोप हेतु दिनांक 14—08—2026 को पेश हो। कार्यालय अनुपालन करे।

Typed by
(विक्रम सिंह भण्डारी)
वरिष्ठ सहायक

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
14—07—2026